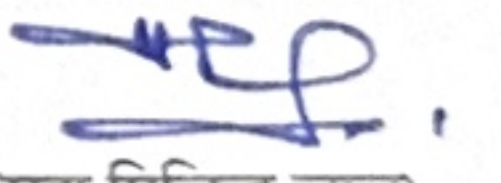


//आदेश//

मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत शासन के पत्र संख्या-226/11-4-2025/1807914 दिनांक 25-04-2025 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में सूची में अंकित प्रकरणों का निस्तारण कराये जाने हेतु प्रकरण जोन स्तर से मुख्यालय प्रेषित किये गये हैं। प्रकरणों का निस्तारण कराये जाने हेतु आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने के पश्चात् सम्बन्धित दावेदारों को भुगतान किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है।

प्रश्नगत व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-07-30प्र0पंजीकृत व्यापारियों के लिये जोखिम व्यक्तिगत दुर्घटना योजना की मानक मद-42 अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

क्र० सं०	जोन का नाम	मृतक व्यापारी का नाम	फर्म का नाम	आनलाइन माध्यम से दावा दायर करने का दिनांक	दावेदार का नाम	देय धनराशि
1	Varanasi	स्व० श्री संजय यादव	सर्वश्री गुड लक, नारघाट चौराहा, मीरजापुर	07-01-2025	श्रीमती आरती यादव, पत्नी	10.00 लाख
2	Varanasi	स्व० श्री विजय कुमार पाल	सर्वश्री विजय कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, मीरजापुर	25-03-2025	श्रीमती गीता पाल, पत्नी	10.00 लाख
3	Lucknow	स्व० श्री सुरेन्द्र	सर्वश्री जय ललिता ट्रेडर्स, हरदोई	26-03-2025	श्रीमती मुन्नी देवी, पत्नी	10.00 लाख
4	Lucknow	स्व० श्री नीरज कुमार	सर्वश्री बाजपेई कान्स्ट्रक्टर एण्ड सप्लायर्स, हरदोई	15-04-2025	श्रीमती रामकली, पत्नी	10.00 लाख
5	Agra	स्व० श्री महेन्द्र सिंह	सर्वश्री भैरो हार्डवेयर एण्ड पेन्ट इलैक्ट्रीकल्स, आगरा	01-05-2025	श्रीमती सोनिया सिंह, पत्नी	10.00 लाख
6	Bareilly	स्व० श्री अनुज पाण्डेय	सर्वश्री श्री साईं ट्रेड एण्ड ट्रांसपोर्ट सर्विस, बरेली	08-05-2025	श्रीमती अन्तिमा पाण्डेय, पत्नी	10.00 लाख
7	Kanpur	स्व० श्री त्रिभुवन नाथ	सर्वश्री रानी ल्यूब्रीकेन्ट्स, कानपुर	16-05-2025	श्रीमती रानी तिवारी, पत्नी	10.00 लाख
8	Varanasi	स्व० श्री शैलेश कुमार तिवारी	सर्वश्री चन्द्रा मेडिकल्स, भीटी, मऊ	03-06-2025	श्रीमती शशिप्रभा तिवारी, पत्नी	10.00 लाख


(महा मिलिन्द लाल)

अपर आयुक्त (लेखा), राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर आयुक्त, ग्रेड-1, राज्य कर, वाराणसी जोन-2, लखनऊ जोन-1, आगरा, बरेली, कानपुर जोन-2, को सूचनार्थ।
- 2- संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, मीरजापुर, लखनऊ-ए, आगरा-ए, बरेली-बी, कानपुर-सी, आजमगढ़ को सूचनार्थ।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
- 4- संयुक्त आयुक्त(आईटी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 5- आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय को सम्बन्धित प्रकरणों में प्राप्त बैंक डिलेट की प्रति के साथ भुगतान हेतु।
- 6- लेखाकार, राज्य कर, मुख्यालय।
- 7- बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय को बजट आवंटन हेतु।


(महा मिलिन्द लाल)

अपर आयुक्त (लेखा), राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।